भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2339
15.12.2025 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के लक्ष्य

2339. श्री राहुल गांधी :
श्री भजन लाल जाटव :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पिछले तीन वर्षों में लगातार बढ़ रहा है, वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुधार योजना का वास्तव में कितना प्रतिशत क्रियान्वित किया गया है;

(ख) 2025-26 के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और उन शहरों का ब्यौरा क्या है जहाँ पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्तर प्राप्त हो चुका है और उन शहरों का भी ब्यौरा क्या है जहाँ मानक पूरे नहीं हुए हैं;

(ग) 2019 से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निगरानी किए जाने वाले लगभग दो-तिहाई शहरों की वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रेटिंग 'मध्यम' या उससे भी खराब है;

(ङ) क्या सरकार को स्वतंत्र मॉनिटर की सरकारी मॉनिटरों की तुलना में अधिक गंभीर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) स्तर दर्शाने वाली रिपोर्टों की जानकारी है;

(च) अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) निगरानी स्टेशनों की संख्या काफी कम होने के क्या कारण हैं; और

(छ) प्रदूषण स्रोतों की पहचान के लिए वास्तविक समय डेटा संग्रहण कब तक पूरी तरह से स्वचालित हो जाने की संभावना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (छ): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया था और यह 130 वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने वाले शहरों तथा 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित मिलियन प्लस शहरों/ शहरी समूहों में वायु प्रदूषण के समाधान की एक दीर्घावधिक, समयबद्ध और राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति है। संबन्धित शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के तो कार्यान्वित करने के लिए एनएसीपी के अंतर्गत सभी 130 वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा न

करने शहरों द्वारा शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्रवाई योजनाएँ तैयार की गईं हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत वायु प्रदूषण के स्रोत जैसे कि मिट्टी और सड़क की धूल, वाहनों द्वारा धुएँ का उत्सर्जन, कचरा जलाना, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण के लक्ष्य शामिल हैं।

एनसीएपी के अंतर्गत 130 शहरों द्वारा केंद्रित कार्यों के साथ सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिसमें 103 शहरों ने वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2024-25 में पीएम10 सांद्रता में कमी हुई हैं, 64 शहरों में आधार वर्ष 2017-18 की तुलना में इनमें पीएम10 के स्तर में 20% से अधिक की कमी हुई है और इनमें से 25 शहरों में 40% से अधिक की कमी हुई है। कुल 22 शहरों ने एनएएक्यूएस के मापदण्डों को पूरा किया है इनमें पीएम10 सांद्रता 60 माइक्रोग्राम/मीटर^3 से कम है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण नियमावली, 1986 के अंतर्गत 12 प्रदूषकों के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) अधिसूचित किए गए हैं, ताकि वायु प्रदूषण से जनस्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा की जा सके।

वर्ष 2022 में, जिन 134 शहरों के लिए एक्यूआई प्रसारित किया गया, उनमें से 124 शहरों में अधिक "अच्छे दिन" (एक्यूआई ≤200) दर्ज किए गए। इसी प्रकार, वर्ष 2023 में ऐसे 191 शहरों में से 189 शहरों में अधिक अच्छे दिन (एक्यूआई ≤200) दर्ज किए गए। वर्ष 2024 में 231 शहरों में से 228 शहरों में अधिक अच्छे दिन(एक्यूआई ≤200) दर्ज किए गए।

एनएसीपी के अंतर्गत आवंटित, जारी की गईं और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम शहरी कार्य योजनाओं (सीएपी) के कार्यान्वयन के लिए वित्त पोषण का लाभ केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न स्कीमों जैसे स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम ई-बस सेवा, पीएम ई-ड्राइव, सस्ती परिवहन के लिए स्थायी विकल्प (सतत) नगर वन योजना और साथ ही राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, नगर निगमों और अन्य विकास प्राधिकरणों के संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से संसाधनों को जुटाने पर बल देता है।

देश में एक्यूआई का आकलन सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों (सीएएक्यूएमएस) के माध्यम से किया जाता है, जो अत्याधुनिक रेफ़रेंस-ग्रेड सिस्टम से लैस हैं और सतत एवं लगभग वास्तविक समय के आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। इन प्रणालियों से प्राप्त वास्तविक समय के माप सटीक और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित वायु गुणवत्ता आंकड़े उपलब्ध होते हैं, जो एक्यूआई रिपोर्टिंग के लिए अपेक्षित हैं। ये निगरानी प्रणालियां सटीक, अनुरेखणीय और विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराते हैं, जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएक्यूएसएस) के अंतर्गत अनुपालन का आकलन, विज्ञान-सम्मत विश्वसनीय प्रवृत्ति विश्लेषण और नियामक उद्देश्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वर्तमान में, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएक्यूएसएस), 2009 में निर्दिष्ट प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रौद्योगिकी से प्राप्त वायु गुणवत्ता आंकड़ों को नियामक उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी सटीकता, अनुरैखिकता, विश्वसनीयता और दीर्घकालिक प्रदर्शन अभी तक पूर्णतः स्थापित नहीं हुआ है। अतः ऐसे सेंसरों से प्राप्त आंकड़ों में कुछ स्तर पर त्रुटि/अनिश्चितता हो सकती है।

संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ (एसपीसीबी/पीसीसी) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप परिवेशी वायु गुणवत्ता एकत्रित करने हेतु निगरानी स्टेशन स्थापित करते हैं। वर्तमान में सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समितियाँ (एसपीसीबी/पीसीसी) देश के 583 शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहे हैं। सीपीसीबी और एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा एकत्रित अथवा प्रमाणित आंकड़ों को ही मान्यता दी जाती है एवं इन्हें जनता को प्रसारित किया जाता है।

कुल 1597 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस और एनएएमपी स्टेशन) 583 शहरों में संचालित हैं, जिनमें 562 सतत निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) और 1035 मैनुअल स्टेशन शामिल हैं।

वर्तमान में, 250 से अधिक शहरों में वास्तविक समय के आधार पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) प्रसारित किया जाता है। एक केंद्रीकृत वायु गुणवत्ता पोर्टल एवं मोबाइल ऐप "समीर" वास्तविक समय वायु गुणवत्ता आंकड़े और प्रति घंटे एक्यूआई को ट्रैक एवं प्रसारित करने के लिए कार्यरत है। सीपीसीबी प्रतिदिन शाम 4 बजे विभिन्न शहरों के एक्यूआई की रिपोर्ट वाला दैनिक बुलेटिन जारी करता है।

*****

अनुलग्नक-I

वित्त वर्ष 2019-20 से 2025-26 के लिए एनसीएपी के तहत आबंटित, जारी की गई और उपयोग में लाई गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	आबंटित	जारी की गई	उपयोग में लाई गई
1	आंध्र प्रदेश	734.9	407.25	215.84
2	असम	156.52	108.72	64.26
3	बिहार	870.13	380.17	291.95
4	चंडीगढ़	55.2	43.37	31.17
5	छत्तीसगढ	427.74	302.95	201.04
6	दिल्ली	103.3	81.36	14.1
7	गुजरात	1533	1282.98	1065.42
8	हरियाणा	182	107.14	49.87
9	हिमाचल प्रदेश	29.43	22.84	16.93
10	जम्मू और कश्मीर	278.14	188	58.53
11	झारखंड	604	279.44	184.52
12	कर्नाटक	1210.6	625.93	472.39
13	मध्य प्रदेश	1234.52	834.65	659.42
14	महाराष्ट्र	3334.03	1794.85	1439.68
15	मेघालय	12.16	12.16	6.41
16	नगालैंड	31.13	31.13	18.34
17	ओडिशा	195.8	107.54	77.07
18	पंजाब	542.7	351.69	234.9
19	राजस्थान	1151.17	687.45	589.08
20	तमिलनाडु	903.7	655.15	550.46
21	तेलंगाना	906.05	739.67	529.67
22	उत्तर प्रदेश	3799.3	2941.16	2245.78
23	उत्तराखंड	148.4	102.97	65.38
24	पश्चिम बंगाल	1685.24	1326.87	920.64
	कुल	**20129.16**	**13415.43**	**10002.85**